सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्राङ्क : कु०स० 4619 /2025 दिनाङ्क : 08 नवम्बर, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-2587/सत्तर-3-2025-1860229 दिनांक 24 सितम्बर, 2025 द्वारा मिशन शक्ति फेज-5 का कार्यक्रम संलग्न विवरणानुसार विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कराने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों में संलग्न विवरणानुसार मिशन शक्ति फेज-5 कार्यक्रम कराकर शासन के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या (फोटो एवं वीडियो सहित) गृह विभाग की ई-मेल आई०डी० पर निदेशालय के माध्यम उपलब्ध कराते हुए उक्त से शासन को प्रेषित करें तथा हार्डकापी एवं साफ्टकॉपी (पेन ड्राइव) विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्नक - यथोक्त।

08/11/25
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. प्रो॰ विद्या कुमारी चन्द्रा, नोडल अधिकारी- मिशन शक्ति कार्यक्रम फेज-5
4. पुस्तकालयाध्यक्ष।
5. निदेशक, प्रकाशन/अनुसंधान संस्थान।
6. परीक्षा नियंत्रक।
7. सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेब-साइट पर अपलोड कराने एवं महाविद्यालयों को उनके लॉगिन आई॰डी॰ के माध्यम से सूचित कराने का कष्ट करें।
8. प्राचार्य/प्रबन्धक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय से कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों में मिशन शक्ति फेज-5 कार्यक्रम शासन के निर्देशानुसार कराने का कष्ट करें।
9. समस्त सहायक कुलसचिव।
10. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
11. जनसम्पर्क अधिकारी।
12. सम्बद्ध पत्रावली।

08/11/25
कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

Scanned with OKEN Scanner

मिशन शक्ति अभियान हेतु विभागवार प्रस्तावित कार्ययोजना / रूपरेखा
(शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस- 22 सितम्बर, 2025 से शुभारम्भ)

1. गृह विभाग-

1. महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ग्राम/न्याय पंचायत हेतु नियुक्त बी0सी0 सखी, राजस्व लेखपाल, ग्राम प्रधान/सभासद, आँगनबाड़ी कार्यकत्री, ए0एन0एम0, आशा वर्कर तथा अन्य सरकारी विभागों के कर्मियों से समन्वय कर ग्राम/न्याय पंचायत की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए निम्न कार्य किये जाएंगेः-
   - प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में सप्ताह में एक दिन कार्यक्रम आयोजित करना।
   - महिलाओं को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना।
   - योजनाओं के लाभ में आ रही समस्याओं का निस्तारण कर कार्य को आगे बढ़ाना।
   - कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं से आवेदन लेकर उनका पंजीकरण कराना और योजनाओं से जोड़ना।
   - महिला सशक्तीकरण जन जागरुकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित करना।
2. मिशन शक्ति फेज 5.0 में दिनांक 22.09.2025 से 01.10.2025 तक (10 दिवस में) की अवधि में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जाएंगेः-
   1. पूजा पण्डालों/रामलीला स्थलों में महिला चौपाल का आयोजन।
   2. नवरात्रि के दौरान समस्त बड़े कार्यकम स्थलों पूजा पण्डालों, रामलीला मैदानों, मेलों आदि के आसपास मनचलों के विरूद्ध प्रभावी व व्यापक अभियान।
   3. सभी कमिश्नरेट/जनपदों में किसी सार्वजनिक स्थान पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर महिला सम्बन्धी विभागों के सहयोग से एक भव्य कार्यकम का आयोजन।
      - जनपद स्तर पर बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं / लड़कियों का सम्मान।
      - पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले हितधारकों/महिला कर्मियों द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों का सम्मान।
      - स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा प्रेरणादायी महिलाओं की सहभागिता।
      - महिलाओं एवं बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यकमों का प्रस्तुतीकरण।
   4. महिलाओं के अत्यधिक आवागमन वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों तथा संवेनदनशील हॉटस्पॉट्स पर पुलिस की व्यापक फुट पेट्रोलिंग तथा पीआरवी की पेट्रोलिंग।
   5. नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों में थाना क्षेत्र के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित कर मिशन शक्ति केन्द्र के कार्यों, उद्देश्यों तथा इस केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यकम का आयोजन।
   6. जिलाधिकारी तथा पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा सम्बन्धी जनपदीय कान्फ्रेन्स का आयोजन।
      - जनपद के बड़े चिकित्सालय (सरकारी/प्राइवेट), बड़े शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल/कालेज स्तर तक), इण्डस्ट्रियल पार्क / प्रतिष्ठान, जहाँ बड़ी संख्या में महिलायें कार्यरत हैं, को आमंत्रण।
      - महिला छात्रावासों के प्रबन्धक, मुख्य बाजारों के व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों/सदस्यों को आमंत्रण।

- प्रतिष्ठानों के अन्दर तथा आसपास महिला सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतियों का चिन्हीकरण तथा सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव मांगते हुए यथासम्भव इन सभी चुनौतियों/सुझावों का निराकरण मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत।

7. महिला सुरक्षा की जागरूकता हेतु जनपद स्तर पर एक दौड़ Run for Empowerment कार्यकम का आयोजन।
   - महिलाओं / बच्चियों की सहभागिता अधिकतम।
   - स्थानीय जनप्रतिनिधियों, महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ क्षेत्र की प्रेरणादायी एवं सम्भ्रान्त महिलाओं को भी आमंत्रण।
   - दौड़ की समाप्ति पर महिला सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यकम का आयोजन।
8. महिला अपराध के जनपदीय नोडल आफिसर / महिला राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रत्येक संस्था से 02-02 शिक्षकों व अभिभावकों को आमंत्रित कर सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता कार्यकम का आयोजन।
   - हेल्पलाइन नम्बरों यथा 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076 की जानकारी।
   - महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय द्वारा महिला सुरक्षा से सम्बन्धित उपलब्ध करायी गयी लघु फिल्मों का प्रदर्शन।

3. मिशन शक्ति फेज 5.0 में दिनांक 22.09.2025 से 24.12.2025 तक की अवधि में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जाएंगेः-

1. सभी स्कूलों / कालेजों में लैंगिक संवेदीकरण (Gender Sensitization) हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा उपलब्ध कराई गयी लघु फिल्मों को दिखाया जाना तथा आवश्यक हेल्पलाइन्स की जानकारी।
2. मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत व वार्ड में सप्ताह में एक दिवसीय कार्यक्रम।
   - बीट पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, बी0सी० सखी, लेखपाल, ए०एन०एम०, आशा वर्कर, ग्राम पंचायत अधिकारी, रोजगार सेवक आदि की निर्धारित दिन को उनकी ग्राम / न्याय पंचायत व वार्ड में उपस्थिति।
   - शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं का निराकरण।
   - महिलाओं से आवेदन प्राप्त कर उनका पंजीयन करते हुए उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना।
   - हेल्पलाइन नम्बरों यथा 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076 की जानकारी।
3. नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों में नियुक्त समस्त कर्मियों की अभियान के प्रथम 30 दिवस में iGOT Portal के माध्यम से लैंगिक संवेदनशीलता, पीड़िता केन्द्रित इंटरव्यू तकनीकि, डिजिटल साक्ष्य एकत्रीकरण, ट्रामा इंफॉर्म्ड केयर, आर्थिक सहायता योजना, पॉक्सो व महिला अपराध सम्बन्धी बी.एन.एस. धाराओं के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण कराना।
4. समस्त सर्किल स्तर पर परिवार परामर्श केन्द्रों की स्थापना।
5. परिवार न्यायालय से समन्वय स्थापित कर घरेलू विवाद एवं गुजारा भत्ता के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मनों की सूची प्राप्त कर निर्गत सम्मनों का शत-प्रतिशत तामीला कराना।

6. महिला अपराधों से सम्बन्धित संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पाट्स पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन।
7. पूर्व स्थापित सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता चेकिंग तथा निष्किय कैमरों को कियाशील कराया जाना।
8. महिला बीट अधिकारियों द्वारा पुलिस तक न पहुंचने वाली परन्तु घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का चिन्हीकरण अभियान ताकि सही समय पर उचित काउन्सलिंग / विधिक कार्यवाही / नियमित निगरानी अमल में लायी जा सके।
9. समस्त सर्किल स्तर पर पुलिस कर्मियों की सुविधा हेतु शिशुगृह (Creche) की स्थापना।
10. थानों में पंजीकृत महिला सम्बन्धी अपराधों में जेल से रिहा अभियुक्तों का सत्यापन व निरोधात्मक कार्यवाही।

2. <u>महिला एवं बाल विकास विभाग-</u>

जनपद व ब्लॉक स्तर पर ज़िला प्रोबेशन अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में हब फॉर वूमेन इम्पावरमेन्ट, जिला बाल संरक्षण ईकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेन्टर, सी0डी0पी0ओ0, सुपरवाइज़र व स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से गतिविधियों का संचालन किया जायेगा तथा ग्राम स्तर पर आँगनबाडी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं का सहयोग लिया जायेगा।

- <u>साइकलोथॉन (मेगा इवेन्ट)-</u> जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, जनपद के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्राम स्तर ग्राम प्रधान के नेतृत्व में महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा जनसंख्या अनुपात, जन्म मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा तथा विभागीय योजनाओं आदि को समाज के समक्ष रखते हुए उनके सुधार हेतु जन-जागरूकता करना।
- <u>सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता-</u> नवरात्र के अवसर पर होने वाले आयोजनों बाजारों में मोबाइल वैन, ने कैनोपी, स्टॉल स्थापित करते हुए महिला केन्द्रित योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन, निराश्रित महिला योजना, शक्ति सदन आदि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। इसके अतिरिक्त महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों यथा- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष), अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशोधित 1986) तथा गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्राविधानों के बारे में जागरूक किया जाना।
- <u>ड्राइविंग माय ड्रीम्स (मेगा इवेन्ट)-</u> प्रत्येक जनपद द्वारा कम से कम 100 महिलाओं एवं बालिकाओं को न्यूनतम 01 माह के ड्राइविंग कोर्स में प्रशिक्षित करते उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाना।
- <u>कन्यापूजन (मेगा इवेन्ट)-</u> समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से अष्टमी/नवमी के अवसर पर प्रत्येक ब्लॉक में जिलाधिकारी / जनप्रतिनिधियों / प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में कन्या पूजन किया जाना।
- <u>पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस-</u> वार्ड/ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण विषयों पर महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जाना एवं विद्यालयों में भी उक्त विषय पर विशेष रूप से न्यूनतम 03 सत्रों का आयोजन किया जाना।
- <u>बाल विवाह को ना – चैम्पियंस का सम्मान-</u> जनपद स्तर पर रोके गये बाल विवाहों में शामिल बालिकाओं के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन कर उनके सामने आई चुनौतियों पर चर्चा-परिचर्चा किया जाना।

- <u>सेल्फ डिफेंस कार्यशाला-</u> समस्त बाल देखरेख संस्थाओं में सेल्फ डिफेन्स कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
- <u>स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर</u>- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों हेतु चिकित्सा जाँच शिविरों का आयोजन किया जाना।
- <u>पार्टनर्स फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन एण्ड चिल्ड्रेन</u>- निदेशालय स्तर से समस्त जनपदों द्वारा वन स्टॉप केन्द्र, चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति तथा बाल देखरेख संस्थाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों तथा महिलाओं की शिक्षा, खेलकद, परामर्श, कौशल विकास, वैयक्तिक विकास आदि के सम्बन्ध में स्थानीय विश्वविद्यालय/कालेज के साथ डिजिटल एम0ओ0यू0 साइन करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।
- <u>जागरूकता चौपाल-</u> ग्राम स्तर पर घरेलू हिंसा/दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण का आयोजन किया जाना।
- <u>ऑपरेशन मुक्ति-</u> अन्य विभागों के समन्वय से बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरूद्ध 10 दिवसीय जागरूकता एवं रेस्क्यू हेतु वृहद अभियान का आयोजन किया जाना।
- <u>अनन्ता (प्रेरक महिलाओं तथा बालिकाओं की पहचान व सम्मान)-</u> समाज में बदलाव हेतु प्रयासरत महिलाओं की प्रेरक कहानियों को जनपद स्तर पर विभिन्न माध्यमों जैसे - टी0वी0, रेडियो, एफ0एम0, कम्यूनिटी-रेडियो, टॉक शो, गोष्ठियों, अखबार आदि के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया जाना।
- <u>हक की बात जिलाधिकारी के साथ (मेगा इवेन्ट)</u>- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के साथ लैंगिक हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेज हिंसा आदि की पीड़ित महिलाओं के संरक्षण, सुरक्षा तंत्र, सुझावों तथा सहायता हेतु न्यूनतम 02 घण्टे के पारस्परिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।
- <u>स्वावलम्बन कैम्प (मेगा इवेन्ट)-</u> तहसील स्तर पर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ही स्वावलंबन कैम्प आयोजित करते हुए, केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य), निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि में लाभान्वित किये जा सकने वाले परिवारों, महिलाओं तथा बच्चों के आवेदनों की समस्त कार्यवाही इन वन विन्डो-कैम्पस के माध्यम से पूर्ण किया जाना।
- <u>कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर अभिमुखीकरण</u>- समस्त जनपदों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित स्थानीय व आंतरिक परिवाद समितियों का प्रशिक्षण व अभिमुखीकरण का आयोजन किया जाना।
- <u>ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति बैठक-</u> प्रत्येक ग्राम सभा में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठकों का आयोजन करते हुए बच्चों के मुद्दों पर चर्चा किया जाना।
- <u>सोशल मीडिया कैम्पेन-</u> कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों संबंधी राज्य/जनपद स्तरीय संकेतकों यथा- जनसंख्या अनुपात, जन्म/मृत्यु दर, लिंगानुपात, स्कूल ड्रॉपआउट, बाल विवाह, लैंगिक शोषण, संस्थागत प्रसव, साक्षरता दर तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा आदि को समाज के समक्ष रखते हुये उनके सुधार हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जागरूकता हेतु प्रयास किया जाना।
- <u>नुक्कड़ नाटक-</u> लैंगिक समानता विषय पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाना।

- <u>टॉक शो विद आइडियल्स-</u> राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से उपर व विश्वविद्यालय स्तर तक की बालिकाओं के साथ संवाद करते हुए जनपद स्तर पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली महिलाओं के साथ न्यूनतम 2 घण्टे के टॉक शो का आयोजन किया जाना।
- <u>एक दिन की जिलाधिकारी बालिकाओं तथा महिलाओं द्वारा सांकेतिक भूमिका निर्वहन कार्यक्रम (मेगा इवेन्ट)-</u> देश-प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुँचने की प्रेरणा देने हेतु जनपद स्तर पर समस्त महिलाओं तथा मेधावी बालिकाओं को एक दिन की सांकेतिक "जिलाधिकारी" नियुक्त किया जाना।
- <u>कन्या जन्मोत्सव-</u> ब्लॉक स्तर पर किसी भी राजकीय अस्पताल सी.एच.सी./पी.एच.सी. में जन्म लेने वाली बालिकाओं के जन्मोत्सव का आयोजन किया जाना एवं जनपद में जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या के बराबर वृक्षारोपण कर बालकों तथा पुरूषों को वृक्षों के संरक्षण का दायित्व सौंपा जाना।
- <u>शक्ति संवाद-</u> ब्लॉक स्तर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड व सामान्य, निराश्रित महिला पेंशन योजना, स्पॉन्सरशिप योजना की लाभार्थी महिलाओं/बालिकाओं का जिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।
- <u>व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद</u>- महिला एवं बाल देखरेख संस्थाओं में संवासियों की व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal/Menstrual Hygiene) हेतु विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से जागरूकता संवाद का आयोजन किया जाना।

3. <u>युवा कल्याण विभाग-</u>

- प्रदेश के समस्त जनपदों के 826 विकास खण्डों में जनजागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश की 403 विधान सभाओं में 1,50,000 महिला खिलाड़ियों की सहभागिता के साथ "विधायक खेल स्पर्धा" प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना।
- 200 महिला पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

4. <u>बेसिक शिक्षा विभाग-</u>

- 12 लाख बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा सेल्फ डिफेंस क्लब का गठन किया जाना।
- 1.5 लाख बालिकाओं हेतु सेनेटरी पैड वितरण एवं माहवारी स्वच्छता प्रबन्धन प्रशिक्षण दिया जाना।
- 80,000 बालिकाओं को वित्तीय साक्षरता एवं डिजिटल कुशलता के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देते हुए प्रमाणपत्र वितरित किया जाना।
- 10 लाख बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
- 1.36 लाख पॉवर एंजिल का सशक्तिकरण किया जाना।
- 1.25 लाख बालिकाओं को बैंक का भ्रमण एवं खाता संचालन प्रक्रिया सम्बन्धी जागरूकता प्रदान किया जाना।
- 70,000 बालिकाओं को आर0टी0ई0 12(1)(सी) के अन्तर्गत विद्यालयों में प्रवेश दिया जाना।
- 6459 दिव्यांग बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उपकरण वितरित किया जाना।
- 80,000 बालिकाओं के साथ ख्याति प्राप्त महिलाओं द्वारा विद्यालय का भ्रमण एवं संवाद किया जाना।
- 7500 बालिकाओं को विद्यालय, विकास खण्ड, तहसील, जिला तथा मण्डल स्तर पर प्रमुख पदों पर एक दिन के लिए आसीन करना।

- 80,000 बालिकाओं को गाइड प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।

5. **माध्यमिक शिक्षा विभाग-**

- विद्यालयों में आन्तरिक शिकायत समिति (विशाखा गाइडलाइन) के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं और महिला अध्यापिकाओं को जानकारी प्रदान किया जाना।
- आपातकालीन सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन- 1098, महिला हेल्पलाइन- 181 / 1090, पुलिस कन्ट्रोल रूम- 112, एम्बुलेंस- 108, नजदीकी थाने के नम्बर की पूरी जानकारी सहित वॉल राइटिंग कराया जाना।
- बालिकाओं एवं महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में "शक्ति मंच" का गठन/आयोजन किया जाना।
- विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा विषयक विधिक प्रावधानों पर जागरूकता हेतु निबन्ध, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन तथा विशेषज्ञ महिला संदर्भदाताओं के माध्यम से परिचर्चा आयोजन किया जाना।
- प्रत्येक माह विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त स्थानीय महिलाओं को विद्यालय में आमंत्रित करके विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाना।

6. **उच्च शिक्षा-**

- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला सशक्तिकरण हेतु वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर निर्माण, सस्लोगन लेखन, गीत, नाटक एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन विषय पर विशेष व्याख्यान एवं नाटक प्रस्तुतिकरण।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता शिविर (मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, महिला स्वास्थ्य विषयक जानकारी) का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी-रैगिंग, महिला उत्पीड़न निवारण समितियों को सक्रिय बनाना तथा छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को "गुड टच" एवं "बैड टच" के बारे में जागरुक करना।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर (112, 1090, 181, 108) का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कॉलेज स्तर पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर सक्रिय क्रियान्वयन किया जाना।
- महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण विषयक रैली, नुक्कड़ नाटक, जनजागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से समाज तक पहुँच सुनिश्चित कर महिलाओं को जागरूक किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर महिला स्वावलंबन और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियों का प्रस्तुतिकरण व प्रेरणा सत्र आयोजित किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्र-छात्राओं द्वारा विशेष ग्राम /मोहल्ला गोद लेकर मिशन शक्ति गतिविधियाँ की पहुँच सुनिश्चित किया जाना।

- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण (जूडो-कराटे, ताइकक्वांडो आदि) का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास पर आधारित शॉर्ट टर्म कोर्सेज (फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, उद्यमिता प्रशिक्षण) संचालित किये जाने हेतु यथोचित प्रयास किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कैरियर काउंसिलिंग व प्लेसमेन्ट कैम्प के माध्यम से महिलाओं में स्वरोजगार के भावना विकसित कर सशक्तिकरण किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति पोर्टल पर कॉलेज गतिविधियों की ऑफ लाइन / ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइबर सेल विधि विभाग जिला स्तरीय समितियों से समन्वय रथापित कर वर्चुअल सेमिनार, वेबिनार व डिजिटल प्रतियोगिताएँ द्वारा महिलाओं में साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट व डिजिटल फ्राड के प्रति जागरुक किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्धि प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने अपने-अपने विविध क्षेत्रों में असाधारण कार्य किया हो, उनके व्याख्यान / कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजित विशिष्ट व प्रेरक गतिविधियों को नियमित रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट कराया जाना।

7. <u>नगर विकास विभाग-</u>

- **महिला सुरक्षा एवं संरक्षण** हेतु सभी नगर निकायों में महिला हेल्पडेस्क की स्थापना करना, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाते हुए विद्यालय, महाविद्यालय, बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी सुदृढ़ करना एवं हेल्पलाइन नंबर (1090, 112) को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- **महिला सशक्तिकरण** हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, नारी उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं डिजिटल प्लेटफार्म से ऑनलाइन मार्केटिंग व सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया जाना।
- **जागरूकता** हेतु रैली, नाटक व प्रदर्शनी, सोशल मीडिया अभियान विद्यालय, महाविद्यालय एवं निकाय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण** हेतु नगरीय निकाय कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आत्मरक्षा शिविर एवं कानूनी अधिकारों/योजनाओं पर कार्यशालाएँ आयोजित किया जाना।
- शक्ति रसोई की संख्या बढ़ाते हुए 100 तक ले जाना।
- महिलाओं द्वारा संचालित वेंडिंग जोन की स्थापना करना।
- अमृत योजनान्तर्गत वाटर टेस्टिंग, रिपेयर और रेवेन्यू कलेक्शन में अमृत मित्र के नाम से महिलाओं को नियोजित करना।
- स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से एम०आर०एफ० सेंटर का संचालन कराया जाना।

8. <u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-</u>

1. <u>मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम-</u>

- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 6,00,000 सरकारी संस्थागत प्रसव कराया जाना।
- लगभग 8,00,000 सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रसव कराया जाना।

- 15,00,000 प्रसव पूर्व जाँचें कराया जाना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत 24,000 कैम्प आयोजित किया जाना।
- उच्च जोखिम एवं जटिल प्रसव के प्रबंधन हेतु 05 अक्रियाशील प्रथम सन्दर्भन इकाईयों को कियाशील किया जाना।
- 1,00,000 गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउण्ड की सेवा प्रदान किया जाना।

2. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-

- सिक न्यू बॉर्न केयर इकाई में 12,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र में 2400 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाना।

3. किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम-

- साप्ताहिक आयरन सम्पूरण कार्यक्रम (WIFS) के अन्तर्गत लगभग 63.28 लाख लाभार्थियों (10-19 वर्ष) को एनीमिया से बचाव के लिये प्रतिमाह आयरन की गोली खिलाया जाना।

4. परिवार नियोजन कार्यक्रम-

- खुशहाल परिवार के 03 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- स्थायी विधि से 30,000 महिलाओं की नसबन्दी किया जाना।
- अस्थायी विधि (पी0पी0आई0यू0सी0डी0 / पी0ए0आई0यू0सी0डी0 / आई0यू0सी0डी0, माला-एन, छाया, अन्तरा) के माध्यम से 5,00,000 महिलाओं को परिवार नियोजन की सेवा प्रदान किया जाना।
- 25,000 नवविवाहित महिलाओं को शगुन किट वितरित किया जाना।

5. 102 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 16.35 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना।

6. एन0पी0सी0डी0सी0एस0 योजना के अंतर्गत 50,000 महिलाओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्तन कैंसर एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग किया जाना।

9. संस्कृति विभाग-

- जन-जागरुकता कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना।
- प्रदेश के देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं की सुरक्षा हेतु लागू किये गये कानूनों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वृहद प्रचार-प्रसार किया जाना।

10. पंचायती राज विभाग-

- 39,328 ग्राम पंचायतों में बी०सी० सखी तथा जिन ग्राम पंचायतों में बी0सी0 सखी अभी पदस्थापित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में चयनित 18-40 आयु वर्ग की समूह सखियों / कृषि आजीविका सखियों / स्वास्थ्य सखी / विद्युत सखी तथा स्वयं सहायता समूह में से अन्य सुयोग्य व सक्रिय सदस्यों में से मास्टर ट्रेनर का चयन करते हुए स्थानीय स्तर पर महिला थाना के साथ अभिसरण के माध्यम से आत्मरक्षा पर ट्रेनिंग ऑफ़ ट्रेनर कार्यक्रम द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जायेगा जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मरक्षा में दक्ष कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाना है।

- <u>परिवार संतृप्तिकरण-</u> 23,68,369 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हुए उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलंबन किया जाना।
- <u>रिवॉल्विंग फण्ड-</u> कुल 1,33,000 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रति समूह रु0- 1.50 लाख प्रति समूह निर्गत किया जाना।
- <u>सामुदायिक निवेश निधि-</u> समूह की सदस्यों को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 93,000 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में प्रति समूह रु0- 1.50 लाख प्रति समूह निर्गत किया जाना।
- <u>बैंक क्रेडिट लिंकेज-</u> समूह की सदस्यों को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु कुल 2,45,000 स्वयं सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज के मध्यम से लाभान्वित किया जाना।

11. <u>ग्राम्य विकास विभाग-</u>

- ग्राम पंचायतों में 18-40 वर्ष आयु वर्ग की बी0सी0 सखियों तथा जिन ग्राम पंचायतों में बी0सी0 सखी पदस्थापित नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में 18-40 वर्ष आयु वर्ग की समूह सखियों/कृषि आजीविका सखियों/स्वास्थ्य सखी/विद्युत सखी तथा स्वयं सहायता समूह के 87,000 सदस्यों को स्थानीय महिला पुलिस के माध्यम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर मास्टर ट्रेनर के रूप में दक्ष किया जाना।
- मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर आजीविका गतिविधियों से जोड़ते हुए उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित किया जाना।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार महिला सदस्यों को वित्तीय समावेशन एवं आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु 24,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड निर्गत किया जाना।
- 15,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना एवं 2,00,000 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाना।
- 450 प्रेरणा कैंटीन संचालित किया जाना।
- 25 जेण्डर रिसोर्स सेन्टर की स्थापना किया जाना।
- 45,200 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि निर्गत किया जाना।
- मनरेगा योजना के अन्तर्गत 20,000 कुशल महिला श्रमिकों, 50,000 अर्द्धकुशल महिला श्रमिकों, 14,00,000 महिला अकुशल श्रमिकों एवं 15,000 महिला मेट को रोजगार प्रदान किया जाना।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 70,000 आवास आवंटित किया जाना।

12. <u>राजस्व विभाग-</u>

- विवादित वरासत समयान्तर्गत दर्ज करते हुए महिला खातेदारों का वरासत दर्ज करने के उपरांत निःशुल्क खतौनी का वितरण।
- महिलाओं के पक्ष में स्वीकृत किये गये विभिन्न पट्टों (कृषि आवंटन, आवास आवंटन, मत्स्य पालन आवंटन व कुम्हारी कला आवंटन) का वितरण प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में कराया जाना।
- प्रदेश की प्रत्येक तहसील में स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से प्रार्थिनी को अवगत कराया जाना।

13. <u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग</u>-

- प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में मिशन शक्ति अभियान का प्रचार-प्रचार कराया जाना।
- मिशन शक्ति से संबंधित प्रदर्शनी में महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रोत्साहित किए जाने वाली योजनाओं को प्रदर्शित किया जाना।
- डिजिटल मीडिया (सोशल मीडिया) के विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा- यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लगभग 40 प्लेटफार्मों पर अभियान का प्रचार-प्रसार कराया जाना।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्रीय टी0वी0 न्यूज चैनलों व डिजिटल सिनेमा द्वारा लघु फिल्म डॉक्यूमेंट्री निर्माण द्वारा प्रचार-प्रसार व प्राइवेट कम्युनिटी एफ0एम0 रेडियो चैनलों द्वारा जिंगलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आउटडोर मीडिया (होर्डिंग, एलईडी) के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाना।
- विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों को कार्यक्रम आवंटित कर प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रचार-प्रसार कराया जाना।
- फोल्डर/बुकलेट के माध्यम से अभियान का प्रचार-प्रसार कराया जाना।

14. <u>न्याय विभाग</u>-

- उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता/जागरुकता शिविरों के माध्यम से दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा उसके बाद महिलाओं के अधिकार सम्बन्धी प्राविधान व कानून, पूर्व गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना विषयों पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना।

15. <u>परिवहन विभाग</u>-

- मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन कार्यालयों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं एल0ई०डी0 के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं जागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना।
- जनपदीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सावर्जनिक स्थानों पर मिशन शक्ति कार्यक्रम एवं उनके उद्देश्यों के विषय पर महिलाओं के सशक्तिकरण एवं जागरूकता हेतु कार्यकम का आयोजन किया जाना।
- सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध आचरण की शिकायत के लिये ट्रोल फी शिकायत नम्बर-112 एवं हेल्पलाईन नम्बर 1090 का प्रचार प्रसार किया जाना।
- सड़क सुरक्षा माह / पखवाड़ा / सप्ताह में चालकों एवं परिचालकों को महिला यात्रियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने का प्रशिक्षण दिया जाना।
- सोशल मीडिया पर महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा तथा सम्मान से सम्बन्धित ऑडियो/विजन सामग्री, प्रेरणादायक कहानी का प्रसारण किया जाना।
- महिलाओं को व्यवसायिक चालक बनाये जाने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण रियायती दरों पर दिलाये जाने हेतु जनपद में संचालित प्राइवेट मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को प्रोत्सहित कर महिलाओं को व्यवसायिक ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाना।